हरियाणा के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन

(कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला जिलों संदर्भ में विशेष अध्ययन)

शिक्षाशास्त्र में पीएच.डी उपाधि हेतु
शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशिका

JV'n डॉ. मंजू शर्मा

शोधार्थी :

JV'n राम निवास सैनी

ENROLLEMENT NO. JVR-II/16/8041

शिक्षा एवं प्रविधि विभाग

शिक्षा एवं प्रविधि संकाय

ज्योति विद्यपीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

जनवरी 2017

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी राम निवास सैनी द्वारा प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध **हरियाणा के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन (कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला जिलों संदर्भ में विशेष अध्ययन)** मेरे निर्देशन में सम्पन्न किया जाएगा। इस शोध–प्रबन्ध की सामग्री मौलिक, शोधपरक एवं स्तरीय होगी जो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर की पीएच.डी. (शिक्षाशास्त्र) की उपाधि हेतु परीक्षणार्थ नियमों पर खरा उतरेगी।

दिनांक.........................

(डॉ॰ मंजू शर्मा)

घोषणा–पत्र

मैं, राम निवास सैनी, शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि **हरियाणा के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन (कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला जिलों संदर्भ में विशेष अध्ययन)** शीर्षकयुक्त शोध–प्रबन्ध मेरे द्वारा स्वयं लिखा जा रहा है। इस शोध–प्रबन्ध की सामग्री मौलिक, शोधपरक एवं स्तरीय होगी जो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर की पीएच.डी. (शिक्षाशास्त्र) की उपाधि हेतु परीक्षणार्थ नियमों पर खरा उतरेगी।

दिनांक.........................

(राम निवास सैनी)

ENROLLEMENT NO. JVR-II/16/8041

पृष्ठभूमि :

अतीत काल से ही शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। ज्ञान प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को शिक्षा संस्थायें कहते हैं, चाहे वहाँ शिक्षाशास्त्र विषय पढ़ाया जाता हो अथवा न पढ़ाया जाता हो। शिक्षा एक प्रक्रिया है और ज्ञान इस प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न उपलब्धि। शिक्षा जब तक जीवन के मूल्यों, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती– तब तक 'शिक्षा' नहीं कही जा सकती।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं– शिक्षा सूचना प्रदान करने एवं कौशलों का प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है। इसे शिक्षित व्यक्ति को मूल्यों का विचार भी प्रदान करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्ति भी नागरिक है। अतः जिस समुदाय में वे रहते हैं उस समुदाय के प्रति उनका भी सामाजिक उत्तरदायित्व है।

संसार के महान शिक्षाविद् महात्मा गाँधी ने कहा था कि शिक्षा और जीवन का क्षेत्र समान होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जीवन की रक्षा कर सके। ऐसी बात पहली बार किसी सामाजिक और आध्यात्मिक नेता ने कही थी। दूसरी ओर, विज्ञान ने भी इस बात का अनुमोदन किया है कि समस्त जीवन के लिए शिक्षा का विस्तार व्यवहार में सम्भव हो सकता है।

प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अपने उच्च शिखर पर थी। शिक्षा का आदान–प्रदान व्यापक रूप में होता था। गुरु और शिष्य दोनों ही आदर प्राप्त करते थे। वास्तव में भारत की प्राचीन शिक्षा का सूत्रपात वैदिक काल से होता है। संक्षेप में वैदिक काल में शिक्षा को तीन अर्थों में लिया जाता था– प्रथम, शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात् व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहता है। इस प्रकार वह जीवन पर्यन्त

विद्यार्थी रहता है। द्वितीय अर्थ में शिक्षा ज्ञान या प्रकाश का स्त्रोत है।

शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाती है। पशुत्व में संकीर्णता तथा देवत्व में विशदता निहित होती है। दूसरे शब्दों में–मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षा की महत्ती आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है। अतः आवश्यकता हर स्तर की शिक्षा को जीवन में वास्तविक व व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ने की। शिक्षा का संसार एक ऐसे द्वीप की तरह है, जहाँ लोगों को संसार से अलग करके जीवन का सामना करने की शिक्षा दी जा रही हो। श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता निष्काम कर्म की शिक्षा देती है और उसके अनुसार आत्म ज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है।[1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी कि राज्य 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसका तात्पर्य था कि 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे 1960 तक विद्यालयों में नामांकित हो जायेंगे। इस समय सीमा को बार–बार बढ़ाया जाता रहा, परन्तु लक्ष्य कोसों दूर रहा। शिक्षा का स्थान साक्षरता के द्वारा ले लिया गया। नवम्बर 1994 में दिल्ली में राजीव गाँधी फाउण्डेशन ने देशभर के शिक्षाविदों की एक बैठक का आयोजन किया। विषय था– साक्षर बच्चे : एक वादा पूरा करने की ओर। बैठक में उक्त शीर्षक के पक्षधरों ने 'साक्षर बच्चे' के लक्ष्य के बचाव में जो तर्क पेश किये, वे ये थे–

- सभी बच्चों को हम आज तक इसलिए शिक्षा नहीं दे पाये क्योंकि शिक्षा जैसे व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करना हमारी स्थितियों में संभव ही नहीं है। अतः

---

1. डॉ. ए.एस. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, पृ. 117

इतने बड़े उद्देश्य के चक्कर में न फंसकर, बच्चों को केवल साक्षर बनाने की बात की जा रही है। यदि इतना भी कर लिया जाये तो बहुत होगा।

- गरीब समाज के बच्चों को शिक्षित करने की बात करना उनकी तौहीन करने की बात है। चूंकि वे अपने जीवन के अनुभवों से ही समृद्ध रूप से शिक्षित हो जाते हैं। अतः यदि हम उन्हें पढ़ने–लिखने का हुनर भर दें तो यह पर्याप्त होगा।[1]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में तो साक्षरता के नाम पर केन्द्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए व्यय करने का निश्चय किया। इस भारी भरकम राशि को स्कूली शिक्षा के लिए खर्च किया जाता तो स्थिति कुछ और बनती। साक्षरता मिशन के लिए देश के 130 जिलों की पहचान की गयी जो शैक्षिक दृष्टि में सबसे पिछड़ी श्रेणी में रखे गये। यदि प्रौढ़ साक्षरता की राशि को इन सर्वाधिक पिछड़ों 130 जिलों के प्राथमिक स्कूलों पर खर्च किया जाता तो प्रत्येक स्कूल को 90 हजार रुपये दिये जा सकते थे। यह राशि स्कूलों के लिए कितनी मूल्यवान है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूली शिक्षा विभाग के खर्च का 98 प्रतिशत से अधिक अंश वेतन, रख–रखाव और मरम्मत पर लगता है तथा नाममात्र की राशि ही शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए मिल पाती है। आचार्य राममूर्ति समिति (1990) के अनुसार 1965 से 1986 के बीच प्रत्येक 10 हजार आबादी के लिए उपलब्ध स्कूलों और शिक्षकों की संख्या लगातर घटती रही थी। इस प्रकार शिक्षक और बच्चों का अनुपात भी इस बीच बढ़ा, घटा नहीं। एक चौथाई से भी अधिक स्कूलों के पास अपना भवन नहीं था और 40 प्रतिशत स्कूल एक कमरे में लगते थे, यानि 5 कक्षाएं एक कमरे में चलती थी। आधे से

---

1. अनिल सद्गोपाल, सबक सीखने से इंकार : शिक्षा में बदलाव का सवाल, ग्रंथ शिल्पी, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, 2004, पृ. 112–115

अधिक स्कूलों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं थी और लगभग 85 प्रतिशत स्कूल बिना शौचालश के थे। दो तिहाई स्कूलों के पास खेल के मैदान भी नहीं थे।

जिस देश में आधे से कम बच्चे जो बमुश्किल पांचवीं कक्षा तक पढ़ पाते हैं, उनमें से अधिकांश शायद ही अपनी भाषा में चार सही वाक्य भी लिख पाते हों। कई अध्ययनों से पता चल रहा है कि पांच साल स्कूल में रहने के बावजूद बच्चे जोड़ना, घटाना और गुणा–भाग करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। प्रोफेसर सद्‌गोपाल की दृष्टि में देश के भूगोल और इतिहास का बोध, राष्ट्र संस्कृति की समृद्धता और विविधता की पहचान तथा पर्यावरण की वैज्ञानिक समझ जैसे अनेक शैक्षिक लक्ष्य केवल पाठ्‌यपुस्तकों के पन्ने भरने को ही हैं। इस पृष्ठभूमि में प्रौढ़ साक्षरता पर इतना ध्यान, संसाधनों का आबंटन, जिला प्रशासनों की प्राथमिकता में साक्षरता का केन्द्र बिन्दु बन जाना आदि अनेक मुद्दे हैं जो प्रश्न उठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो गया। यहां साक्षरता कार्यक्रमों के बहुचर्चित जोड़–तोड़ कर बनाये गये आँकड़ों, सम्पूर्ण साक्षरता के दावों और पैसे के दुरुपयोग आदि मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न केवल क्रियान्वयन का नहीं है, वरन् नीति पक्ष का है। इसलिए इस विमर्श को कतिपय स्वैच्छिक संस्थाओं के नेतृत्व में अथवा उनके सहयोग से चलाये गये अपेक्षाकृत 'सफल' साक्षरता कार्यक्रमों का उदाहरण देकर भ्रमित करना बेमानी होगा। दरअसल, स्वैच्छिक पहल की इक्की–दुक्की सफलता (हालांकि उसका भी वस्तुपरक मूल्यांकन होना शेष है) के नाम पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को न्यायोचित ठहराने के तमाम प्रयास प्रारंभिक शिक्षा को हाशिये पर धकेलने की प्रक्रिया को छिपा नहीं सके हैं। इस मुद्दे को अनिल सद्‌गोपाल कुछ इन शब्दों में समझाते हैं– "प्रौढ़ साक्षरता की राष्ट्रीय नीति तो उस व्यक्ति की याद दिलाती है जो बड़ी मेहनत के साथ गीले फर्श को सुखाने के लिए पोछा लगा रहा है, परन्तु एक तरफ से नल खोल रखा है। आप जिन्दगी भर पोछा लगाते जाइये पर फर्श सूखेगा नहीं।

वर्तमान में लगभग 8–9 करोड़ बच्चे (6 से 14 आये समूह में) स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये बच्चे 21वीं सदी के पहले दशक में प्रौढ़ निरक्षरों की कतार में शामिल हो जायेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का धंधा संभवतः तब भी चालू रहेगा और हमारे मीडिया के दिग्गज तब भी इस सोचनीय स्थिति पर सम्पादकीय टिप्पणी करते रहेंगे। सम्मेलनों में भी धुआंधार बहसें चलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सन् 2010 में भी हमारे प्रधानमंत्री संविधान के शैक्षिक निर्देशों को पूरा करने के लिए नई तारीखों की घोषणा करते रहेंगे।

1990 के विख्यात 'एर्नाकुलम प्रयोग' से भी देश के नीति–निर्माताओं द्वारा सबक नहीं लिया गया। सन् 1989–90 में जब केरल के एर्नाकुलम जिले में साक्षरता अभियान शुरू किया गया था तब वहाँ लगभग 92 प्रतिशत साक्षरता थी। एक साल के अभियान के बाद साक्षरता दर बढ़कर 97 प्रतिशत हो गयी। इस 5 प्रतिशत की वृद्धि के बारे में भी जिला कलक्टर की रपट में चिंता जाहिर की गयी कि यदि तुरंत उत्तर–साक्षरता कार्यक्रम नहीं चलाये गये तो यह वृद्धि शून्य हो सकती है। इसके बावजूद देशभर में यह प्रचारित हुआ कि 'एर्नाकुलम प्रयोग' दिखाता है कि साक्षरता अभियान से देश की तकदीर बदली जा सकती है। कहीं से यह प्रतिवाद का स्वर नहीं निकला कि 'एर्नाकुलम प्रयोग' का सबसे महत्त्वपूर्ण सबक कुछ और ही था। अभियान के पूर्व 92 प्रतिशत साक्षरता का स्तर यह बताता है कि केवल इस जिले में ही नहीं वरन् पूरे केरल में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का समृद्ध इतिहास है, जिसमें अनेक सामाजिक धाराओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश को 'एर्नाकुलम प्रयोग' से कुछ सबक लेने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामाजिक विकास में प्रारंभिक शिक्षा के बुनियादी महत्त्व की बात को स्वीकार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की समीक्षा के लिए गठित आचार्य राममूर्ति समिति की रपट में प्रारंभिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सरोकार को केन्द्रित करने की जोरदार पैरवी की गयी। रपट में अनेक व्यवहारिक सुझाव भी दिये गये, जिन पर

अमल करके देश के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ करायी जा सकती है। यह अकेला ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसमें 'एर्नाकुलम प्रयोग' के ऐतिहासिक सबक पर जोर दिया गया है और उसके सहारे प्रारंभिक शिक्षा को एक बार फिर राष्ट्रीय एजेंडा का केन्द्र बिन्दु बनाने की बात कही गयी है। यही नहीं, संविधान के शैक्षिक निर्देश को सम्पूर्ण अर्थ देते हुए इस रपट में पहली बार कहा गया कि अनुच्छेद 45 राज्य की जिम्मेदारी को कक्षा 1 से 8 तक सीमित करने का निर्देश कहीं भी नहीं देता है। यह तो स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्रीय नेतृत्व की महज व्याख्या थी कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के तुल्य मान लिया गया। अतः आचार्य राममूर्ति रपट में वकालत की गयी कि 'निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा' के दायरे में 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा, भी शामिल की जाये।[1]

अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा (यू.ई.ई.) की लक्ष्य प्राप्ति हेतु वित्तीय आवश्यकता का आंकलन करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस तापस मजूमदार के नेतृत्व में 1997 में घटित एक विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दस वर्षों में 1,37,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता हुई। अमर्त्य सेन के शब्दों में सम्पूर्ण साक्षरता को प्राप्त करने के लिए कोई भी रकम बहुत बड़ी नहीं है। रुपये 3,00,000 करोड़ की राशि भी इस देश के कुल बजट व्यय तथा शिक्षा पर जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत खर्च करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में कोई बड़ी राशि नहीं है। विशेषज्ञों की राय थी कि इस लक्ष्य को सरकार द्वारा वित्त–प्रबंधन में दक्षता बरत कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु सरकार की 'अक्षमता में स्वाभाविक विशेषज्ञता' के कारण यह संभव नहीं हो सका। के.सी. पंत द्वारा भी यह स्वीकार किया गया था कि 50 वर्षों के बाद भी

---

1. नीरज दुबे व तृप्ति दुबे, बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या, कुरुक्षेत्र 52 (7 मई 2006), पृ. 16–18

हम शिक्षा पर केवल 3.8 प्रतिशत (जी.डी.पी. का) जन–व्यय के आंकड़े तक नहीं पहुंचे पाये हैं। अतः राज्यों को 1999–2000 बजट में अधिक खर्च करना चाहिए (एस.डी.पी. से) ताकि जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1996–97 में केरल ने एस.डी.पी. का 6.37 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जबकि हरियाणा में यह मात्र 2.65 प्रतिशत था।

भारत में बेसिक शिक्षा सर्वेक्षण पर प्रोब[1] की रिपोर्ट में उल्लेख है कि लगभग बढ़ाने वाले कुशल कारीगर तैयार करने के एक उपकरण के रूप में संकुचित कर दी गयी है।

विषय एवं अध्ययन क्षेत्र :

हरियाणा के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन (कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला जिलों संदर्भ में विशेष अध्ययन)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त विशेष शब्दों का अर्थ :

शीर्षक में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली की परिभाषाओं को शोधार्थी द्वारा निम्न रूप से परिभाषित किया गया है–

सर्व शिक्षा अभियान :

सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6–14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

---

1. Report of PROBE, Oxforx University Press, 1999

माध्यमिक शिक्षा :

माध्यमिक शिक्षा का अर्थ वह शिक्षा है जो द्वितीय या माध्यमिक अवस्था में दी जाती है। एक बच्चे की स्कूली शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. प्राथमिक शिक्षा से पहले
2. प्राथमिक शिक्षा
3. माध्यमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा बचपन के शुरू में दिये जाने से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा बचपन से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा किशोरावस्था से संबंधित है।

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सामान्य बालकों की आयु 14–18 वर्ष है। शिक्षा के अधिकार कानून (Right to education Act) ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता को संवैधानिक उपबंध बना दिया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी विचार किया जाने लगा।

गुणात्मक अध्ययन :

गुणात्मक से अभिप्राय सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएँ कितनी प्रभावशीलता रखती हैं। शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने में कहाँ तक सफल हुई हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला जिले के माध्यमिक स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

3. सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं का बच्चों व अध्यापकों के संदर्भ में प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

4. सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं का सर्वशिक्षा के अधिकारियों के संदर्भ में प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ :

अध्ययन के लिए शोधकर्त्ता द्वारा उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गई हैं–

- हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र, पंचकुला तथा यमुनानगर जिले के स्कूलों में कक्षा–कक्ष की स्थिति अच्छी नहीं है।
- फर्नीचर, पीने के पानी की व्यवस्था स्कूलों में ठीक नहीं पाई जाती है।
- अध्यापकों को स्कूलों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- अध्यापकों को अत्याधिक कार्यभार दिया जाता है।
- कहाँ तक अध्यापक सर्वशिक्षा अभियान की क्रियाओं से जुड़े हुए हैं।
- स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान की सुविधाएँ समय पर नहीं मिलती हैं।
- सर्व शिक्षा के तहत मिलने वाली सुविधओं से नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं।
- स्कूलों में दिया जाने वाला दोपहर का भोजन कहाँ तक शिक्षा की सार्वभौमिकता को बढ़ाता है।
- मिड–डे–मील की गुणवत्ता का सही न होना।
- स्कूलों में कम्प्यूटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता।

अध्ययन की परिसीमन :

किसी भी अनुसंधान क्षेत्र का स्पष्टीकरण तथा उसकी सीमाओं को सुनिश्चित करने से वैध और विश्वसनीय निष्कर्षों की प्राप्ति सरल हो जाती है; शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन किसी

सीमित क्षेत्र में कर पाना ही एक शोधकर्त्ता के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा संभव हो पाता है। सीमित साधनों और उपलब्ध समय को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य की निम्नलिखित सीमाएँ निश्चित की गई थीं–

1. इस शोध–कार्य में केवल हरियाणा प्रदेश के तीने जिले कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला में संचालित माध्यमिक स्कूलों का अध्ययन किया जाएगा।
2. अध्ययन सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं के संदर्भ में किया गया है।
3. अध्ययन में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए छात्रों, अध्यापक तथा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिकारियों को लिया जाएगा

अध्ययन की सार्थकता :

शिक्षा का अध्ययन वर्तमान युग की प्रथम आवश्यकता बन गयी है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का शिक्षित होना ही उस राष्ट्र के विकास का आधार होता है। इस तथ्य की पहचान इस भारत राष्ट्र के निर्माताओं द्वारा भलीभांति कर ली गयी थी तथा देश की स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए इस दिशा में प्रयास भी प्रारंभ कर दिये गये थे। शिक्षा की तत्कालीन स्थिति के विषय में महात्मा गाँधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि–

"तस्वीर अभी अधूरी है। अभी हमारे सामने इस भावी राष्ट्र की शिक्षा का सवाल है। अपने आंकड़ों को चुनौती दिए जाने की आशंका के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि पचास या सौ साल पहले की तुलना में आज भारत ज्यादा निरक्षर है और ऐसा ही बर्मा है, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने चीजों को यथावत पकड़ने के बजाए जड़ से उखाड़ना शुरू किया। उन्होंने मिट्टी खुरची और जड़ों की ताकझांक की और जड़ों को उसी तरह खुला छोड़ दिया और इस तरह 'खूबसूरत पेड़' खत्म हो गया। अंग्रेज प्रशासकों को हमारी ग्रामीण शालाएँ जंची नहीं, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम सामने रखा जिसके मुताबिक प्रत्येक

स्कूल में काफी साज–समान व भवन आदि निश्चित ही होना चाहिए। परन्तु ऐसे स्कूल तो कहीं थे ही नहीं। एक अंग्रेज प्रशासक द्वारा छोड़े गए आंकड़े दर्शाते हैं कि जहाँ उन्होंने सर्वे किया था, उन जगहों पर प्राचीन शालाएँ खत्म हो गईं क्योंकि इन शालाओं को कोई मान्यता नहीं थी और यूरोपीय पद्धति पर स्थापित किए गए स्कूल लोगों के लिए अत्यधिक महंगे थे, इसीलिए संभवतः वे प्रचलित नहीं हो सके। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी सौ साल के अन्दर भारत की जनता के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का काम पूरा करके दिखाए। मेरा यह बेहद गरीब देश शिक्षा के महंगे तरीकों को जिंदा रखने में असमर्थ है। हमारा देश गांव के पुराने मास्टर जी को पुनर्जीवित करेगा और गांव–गांव में लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए शालाएँ स्थापित करेगा।"

–महात्मा गाँधी

चौथम हाउस, लंदन, 20 अक्तूबर 1931

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कटुतम आलोचना जो बार–बार दोहरायी जाती है, यही रही है कि आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था मैकाले द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही चलती रही है और हम शिक्षा की कोई नूतन, मौलिक व देशज पद्धति विकसित नहीं कर सके हैं। आजादी की आधी सदी इस पर ही सोच विचार करते बीत गयी कि हमें ऐसा करना अभीष्ट होगा या नहीं अथवा ऐसा करें तो कैसे करें। इस ऊहापोह से उभर कर कुछ नया कर पाते कि नव–उपनिवेशवादी शक्तियाँ व चिंतन पुनः राष्ट्र चिंतन पर हावी होने लगा। निजीकरण व भूमण्डलीकरण ने जनतांत्रिक, लोक कल्याणकारी व संप्रभुता सम्पन्न भारत गणराज्य के नीति–निर्माताओं को आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। गरीबी व अशिक्षा के कलंक को मिटाकर विकसित देशों के साथ कदमताल करनी है तो वैश्विक स्तर पर 'निरक्षता–उन्मूलन' के प्रति व्यक्त की जाने वाली चिंताओं और उन चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाली 'मुक्तिदाता संस्थाओं' की शरण में जाना ही

होगा, राष्ट्रीय नीति–निर्माताओं को यह बोध हुआ। सर्वशिक्षा अभियान भी विकास को इन नये रास्तों में से एक शिक्षा सम्बन्धी रास्ता है। अभियान की कार्य–योजना पर्याप्त विमर्श व चिंतन–मनन, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग दर्शन एवं विशेषज्ञ सलाहकारों के सुझावों पर आधारित है। वित्त–प्रवाह भी निर्बाध है। कार्यान्वयन के परिणाम, विभिन्न रिपोर्टों व सूचनाओं के अनुसार कहीं संतोषजनक है, तो कहीं असंतोषजनक। अतः समग्र रूप से अभियान के सफलता या असफलता के सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाना कठिन लगता है। विभागीय स्तर पर किये जाने वाले मूल्यांकन 'प्रगति आख्या' के रूप में है जो कुछ सूचकों (जैसे– नामांकन, विद्यालय की संख्या, परिव्यय) को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। गुणात्मक विकास न दर्शाना एकांगी मूल्यांकन का द्योतक है।

सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति को अनेक समस्याएँ बाधित कर रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएँ विभिन्न अवलोकनों, सर्वेक्षणों व शोध–अध्ययनों के द्वारा प्रकाश में लायी जाती रही हैं, उनमें से अनेक सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में भी सामने आ रही हैं। पूर्व में संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन से प्राप्त पृष्ठ पोषण के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा को अधिक जनोन्मुखी, यथार्थपरक एवं सर्वसमावेशी बनाने का प्रयास किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में संस्थागत सुधार, दीर्घकालिक वित्त पोषण, सामुदायिक सहभागिता व संस्थागत क्षमता निर्माण के साथ–साथ शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाने के लक्ष्यों को सामने रखकर कार्यक्रम की कार्य–नीतियाँ सुनिश्चित की गयी थीं। कार्यक्रम को विकेन्द्रीयकृत करते हुए अभिभावकों व समुदाय का भी अधिकाधिक सहयोग अभियान में लिया जा रहा है। पूर्ण पारदर्शिता सहित समुदाय–आधारित अनुश्रवण की व्यवस्था भी अभियान में की गयी है। बालिकाओं, विकलांग बालकों, अनुसूचित–जनजाति के बालकों, अल्पसंख्यक व वंचित सुविधाविहीन तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के समावेशन आदि पर कार्यक्रम में विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षकों

में उत्तरदायित्व बोध व वचनबद्धता का विकास, अभिभावकों व समुदाय के प्रति जवाबदेही विकसित करना, शिक्षक दक्षता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास व उपयोग और शिक्षण प्रशिक्षण आदि प्रावधानों द्वारा शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना भी अभियान का उद्देश्य है।

उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान कितना सफल रहा है, मार्ग में क्या–क्या समस्याएँ व अवरोध हैं, इसके मूल्यांकन की व्यवस्था भी कार्यक्रम में ही रखी गयी है। ऐसे प्रावधान किसी भी कार्यक्रम में रखे भी जाने चाहिएं, परन्तु सरकारी आंकड़ों के प्रति सामान्य जन ही नहीं अनेक जागरूक शिक्षाविद् व सामाजिक कार्यकर्त्ता सदैव संदेह की दृष्टि रखते हैं और अक्सर जमीनी अध्ययनों के द्वारा सत्य को उजागर भी करते रहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एक वस्तुपरक एवं व्यवस्थित शोध–कार्य के द्वारा करने के विचार ने शोधकर्त्ता को प्रस्तुत शोध–कार्य हेतु उत्प्रेरित किया।

वस्तुतः किसी भी शैक्षिक नीति के आयोजन एवं कार्यन्वयन में शिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। शैक्षिक नीतियों को इकाई स्तर पर विद्यालय संस्था में क्रियान्वित करने का दायित्व शिक्षकों पर ही होता है। वे योजना क्रियान्वयन के समय आने वाली समस्याओं व कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से जानते, समझते व अनुभव करते हैं। वे ही इन कठिनाइयों के निवारण हेतु व्यवहारिक सुझाव भी दे सकते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की आरम्भिक कड़ी व आधारशिला है जो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। औपचारिक शिक्षा का आधारभूत स्तम्भ होने के कारण इसे प्राथमिक शिक्षा की संज्ञा देना अधिक उचित प्रतीत होता है। प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का मुख्यतः एक ही अर्थ है यद्यपि समय–समय पर लेखकों, समितियों,

आयोगों ने विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया है। बालकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत आती है जो कक्षा एक से कक्षा 8 तक चलती है।

यूनिसेफ ने बच्चों की सर्वांगीण खुशहाली सम्बन्धी निम्न ढाँचे का सुझाव दिया तथा भारत सरकार द्वारा भी बच्चों की प्रगति तथा प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अनेक कदम उठाये गये जिसका विवरण आगे के पृष्ठों में दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1989 को बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई। इस घोषणापत्र में 54 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार–समझौते में शामिल सभी देश बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं।

भारतीय संविधान की 45वीं धारा में यह उपबन्ध किया गया था– 'राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के 10 वर्षों के अन्दर सभी बच्चों को जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा।' परन्तु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

संविधान लागू किये जाने के समय शिक्षा राज्य सूची में शामिल थी परन्तु 1977 से इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया तथा केन्द्र तथा राज्य सरकार की यह सम्मिलित जिम्मेवारी हो गयी कि वह शिक्षा के विकास के लिए अपने स्तर से प्रयास करे। शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में 86वाँ संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिससे उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन हमारी सहायता करता है कि अन्य शोधकर्त्ताओं ने सम्बन्धित समस्या को क्या हल निकाले हैं और कौन से प्रश्न अभी अनुचरित रह गए हैं। यह शोधकर्त्ता की मदद इस विषय पर भी करता है कि कहीं वह पुनः उसी विषय की तथा सैंपल की पुनरावृत्ति न हो जाए। यह पूर्व कल्पनाओं के साथ महत्त्वपूर्ण सुझाव देने में भी सहायक होता है, जिससे शोधकर्त्ता को शोध करते समय आसानी से आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं।

बनर्जी रुक्मिणी (2000) : सर्वेक्षण क्षेत्र मुंबई और दिल्ली को लिया गया जिसमें गरीबी और प्राथमिक स्कूली शिक्षा पर फोकस किया गया। अध्ययन से पता चला कि इतने सारे बच्चों का स्कूल न जाने का कारण उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति थी। बच्चों को स्कूलों की तरफ आकर्षित करने के लिए स्कूल प्रणाली अपर्याप्त थी। स्कूल नामांकन शहरों और गाँवों में नाटकीय रूप से बढ़ा है। बच्चों की शिक्षित करने के लिए बनाया गया सिस्टम और सरकार की क्षमता बच्चों के लिए कम प्रभावशाली है। अध्ययन से पता चलता है कि उपलब्धि स्तर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 और 4 में समान था। अध्ययन में यह सुझाव दिया कि एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए स्थानीय स्तर पर नवीन कार्यों के लिए जवाब देही होनी चाहिए। सभी बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों और समुदायों की ओर से सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

गांधे एटएल (2000) यह शोध अध्ययन में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर आयोजित किया गया। लोक जुम्बिश कार्यक्रम तथा शिक्षा कर्मी योजना को राजस्थान के अजमेर जिले में चलाई गई। इन परियोजनाओं में लड़कियों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। यह परियोजनाएँ तेजी से शैक्षिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। इन नवाचारों (Innovatioin)

में योजना शामिल है :–

प्रतिधारण (और निगरानी), रजिस्टर, बच्चों के लिए कम लागत हॉस्टल, रात्रि कक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्कूल भवनों की मरम्मत, अपल्संख्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण। ग्रामीण महिलाओं में चेतना बढ़ाने की आवश्यकता है तथा बेटियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है और बाल विवाह जैसे मुद्दे को खत्म करने की आवश्यकता है जो गर्ल्स शिक्षा में बाधा है।

रेड्डी (2001) – मणिपुर में प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया गया। अध्ययन दो जिलों में किया गया था। प्राथमिक स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया (दो जिलों में 200) जो ब्लॉक मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। शिक्षकों द्वारा प्रेरणा तथा समूह की भागीदारी तथा शिक्षा अधिकारी द्वारा निगरानी के लिए सिफारिश की थी। अतिरिक्त कमरों का निर्माण, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति तथा भौतिक सुविधाओं का प्रावधान तथा पर्यावरण सुधार की सिफारिश की गई थी।

अर्चना अग्रवाल (2002) ने प्राथमिक स्तर के छात्रों पर "शैक्षिक उपलब्धि के कारकों का अध्ययन किया और पाया कि शैक्षिक उपलब्धि का बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा परिवार का आकार के साथ सकारात्मक सह सम्बन्ध था। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यह सह–सम्बन्ध अधिक पाया गया।

एनट्रिप एवं सीमैट (2003) द्वारा सफल विद्यालय प्रबंधन पर अध्ययन किया गया। इसके लिए 5 अच्छे प्राथमिक विद्यालयों (3 शासकीय एवं 2 अशासकीय) का चयन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि एक सफल विद्यालय के प्रबंधन में कौन से गुणों का होना जरूरी है। इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य की भूमिका, समुदाय के सहयोग एवं पर्यवेक्षणकर्त्ता के सहयोग का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अच्छा नेतृत्व करते हैं, जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अच्छे परिणाम मिलते हैं।

आचार्य प्रशांत कुमार और बहेरा मनोरंन ने (2004) के अंत तक कहा कि नवंबर 2003 तक वे सिविल कार्य धन न रिलीज़ होने के कारण हुत धीमी गति से किया गया था। इसका कारण सर्व शिक्षा अभियान का जिला स्तरीय विकास योजनाओं का एक–दूसरे के साथ अभिसरण का अभाव। लेकिन उल्लेखनीय प्रगति उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा के द्वारा हुई। जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। लगभग 70 प्रतिशत (शिक्षा गारंटी योजना) Education Guarantee Scheme (EGS) केन्द्र बनाए गए थे।

देवराज, अमिधी ए.एल. (2005) में गुणवत्ता शिक्षा का अध्ययन किया गया। दक्षिण कर्नाटक के चामराजनगर जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कम साक्षरता का स्तर की बड़ी आबादी है। सरकार द्वारा प्राथमिकता स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप किया और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों का निर्माण किया गया। यह अनुभव किया गया परीक्षणों के दौरान सीखने के स्तर में सुधार हुआ। माता–पिता के साथ स्कूल के विकास और बच्चों के सीखने के स्तर से संबंधित विचार–विमर्श किया गया। अध्यापकों द्वारा उन बच्चों की पहचान की गई जिनके सीखने के स्तर में कमी थी और उनको कैसे सिखाया जाए तथा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएग। कुल मिलाकर शिक्षण विधियों के उपयोग, नाटक, खेल के माध्यम से सुधार और कला गतिविधियों के अंदर कक्षाओं का आयोजन किया।

मेहता, अरुण (2006) 2004–05 में प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें 29 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश तथा 581 जिले शामिल हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का एक बहुमत 26–45 वर्ष की आयुवर्ग में था। 49 प्रतिशत पुरुष तथा 48 प्रतिशत महिलाएँ अध्यापक स्नातक व इससे ऊपर थे। 2005 में 379,000 परा अध्यापक नियुक्त हुए, जो कुल 4.17 लाख शिक्षकों पर केवल 9.09 प्रतिशत थे और 65 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों

में नियुक्त किए गए। वहाँ अब भी अध्यापकों की नियुक्ति की जरूरत है ताकि स्कूलों में नामांकन संख्या तथा बच्चों की अवधारणा में सुधार किया जा सके।

भारतीय शिक्षण संस्थान पुणे (2008) सर्वेक्षण में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की समस्या की जाँच की जो न केवल भारत में ही नहीं अन्य विकासशील देशों में लगातार परेशान कर रहा है। इस लेख में उपस्थिति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारकों को समझाया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि स्कूलों में स्थानीय शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं ताकि शिक्षक अनुपस्थिति की समस्या को कम किया जा सके और समय की पाबंदी स्कूलों में होनी चाहिए। महिला शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माता–पिता और शिक्षकों के बीच सांस्कृतिक अंतर, अधिक व्यापक रूप से भागीदारी तथा स्कूल प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

EDCIL द्वारा 2010 में पूर्ण संश्लेषण की रिपोर्ट प्रकाशित की गई–इसमें छात्रों की उपस्थिति में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का अध्ययन किया गया जिसमें 20 मुख्य राज्यों सहित दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रत्येक राज्य में नमूना आकार 300 से 400 राज्यों के बीच था। मुख्य निष्कर्ष : यह पाया गया है कि कुल मिलाकर औसत छात्रों की उपस्थिति माना गया था। 68.5 प्रतिशत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 75.7 प्रतिशत पर। शिक्षकों के लिए औसत उपस्थिति पर प्राइमरी स्कूलों में 81.7 प्रतिशत और ऊपरी प्राइमरी स्कूलों में 80.5 प्रतिशत थी। लड़कियों की उपस्थिति माना कि लड़कों की तुलना में थोड़ा उच्च थी। औसत उपस्थिति दर के लड़कों और लड़कियों के पहले घंटे में प्राथमिक स्तर पर 69 प्रतिशत और 70.6 प्रतिशत क्रमशः था और ऊपरी प्राइमरी स्तर 75.2 प्रतिशत और 78.7 प्रतिशत क्रमशः और उपस्थिति दर में पहला घंटा प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति और मुस्लिम छात्रों के लिए थोड़ा कम था (68. 7 प्रतिशत और 66.4 प्रतिशत क्रमशः)

अतः सम्बन्धित शोध–कार्यों के उपर्युक्त पुनरावलोकन से यह स्पष्ट है कि शोधकर्त्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंध, समस्याओं तथा सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों, लड़कियों की शिक्षा तथा स्कूल छोड़ने की समस्या, अध्यापक शिक्षण, अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों की शिक्षा, स्कूलों के सुविधाएँ लिंग भेद से जुड़ी शैक्षिक असमानताओं जैसे मुद्दों को भी कुछ शोधकर्त्ताओं द्वारा अपने अध्ययन का विषय बनाया गया है। उपर्युक्त अवलोकन प्रस्तुत शोध–प्रबंध की प्रासंगिकता को पुनः रेखांकित करता है। अध्ययन विभिन्न जिलों में किया गया। वर्तमान अध्ययन माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं पर आधारित है। अध्ययन हरियाणा के तीन जिलों में स्कूलों की गुणवत्ता को परखने पर आधारित है।

निष्कर्ष :

'हरियाणा के माध्यमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का गुणात्मक अध्ययन' प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध का विषय है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा की सार्वभौमिकता का ही द्वितीय नाम है। संविधान की 45वीं धारा में व्यवस्था है कि 6–14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। संविधान में 93वें संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है। सरकार की ओर से इस तरफ व्यापक ध्यान देते हुए तथा सार्वभौमिक शिक्षा प्रसार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना को शुरू किया गया। इस योजना के द्वारा पूरे देश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात की गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को सुविधाएँ प्रदान की गई है, जिसमें शिक्षक, विद्यालय सुविधाएँ, कक्षा, निःशुल्क किताबें, विद्यालय भवन की संभाल, शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण आदि संबंधी सुविधाएँ शामिल हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी विचार किया जाने लगा। 15 अगस्त 2007 को भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, "हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है।" माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सामान्य बालकों की आयु 14–18 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सरकार द्वारा बहुत से महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में विभिन्न उद्देश्यों को उभारा जाएगा। जैसे–हरियाणा के स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना, स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना, सर्व शिक्षा के तहत मिलने वाली सुविधाओं का बच्चों व अध्यापकों के संदर्भ में प्रभावशीलता का अध्ययन करना, सुविधाओं का सर्वशिक्षा अभियान के अधिकारियों के संदर्भ में प्रभावशीलता का अध्ययन करना। अध्ययन के लिए हरियाणा प्रदेश के तीन जिलों को चुना गया–कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकुला। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध को तीन भागों में बांटा गया है। आँकड़ों के संग्रह के लिए स्वयं निर्मित प्रश्नावली तैयार की जाएगी।

भाग–1 में छात्रों से प्राप्त आँकड़े सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित हैं। जिसमें कक्षा–कक्ष, फर्नीचर, किताबें, वर्दी, पानी तथा छात्रवृत्तियाँ आदि सुविधाओं से संबंधित आँकड़ों को एकत्र किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया जाएगा।

भाग–2 में अध्यापकों से सर्वशिक्षा के तहत स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण व अर्थापन

के लिए शिक्षकों को दी जाने वाली शिक्षक अनुदान राशि, शिक्षण सहायक सामग्री, मल्टी मीडिया शिक्षण सामग्री, मिड–डे–मील की गुणवत्ता, नामांकन में वृद्धि आदि प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।

भाग–3 में सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिकारियों से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। सर्व शिक्षा से संबंधित सुझाव तथा उसमें आने वाली समस्याओं से संबंधित प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन की रूपरेखा :

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध परम श्रद्धेय डॉ. मंजू शर्माजी के निर्देशन में सम्पन्न होगा।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध की प्रस्तावित विषय सूची को पाँच अध्यायों में विभक्त किया गया है–

प्रथम अध्याय 'प्रस्तावना' है, जिसमें सर्वशिक्षा अभियान तथा शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया जाएगा।

द्वितीय अध्याय 'संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन' से संबंधित होगा। इस अध्याय में शोध के विषय से संबंधित हुए अध्ययनों का उल्लेख किया गया जाएगा।

तृतीय अध्याय 'योजना तथा प्रक्रिया' से संबंधित होगा। इस अध्याय में अध्ययन का क्षेत्र, विधि आदि के संबंध में बताया जाएगा।

चतुर्थ अध्याय 'समंक विश्लेषण एवं अर्थापन' से संबंधित होगा जिसमें अध्ययन द्वारा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें हरियाणा जिले के तीनों राज्यों से आँकड़ों को एकत्रित किया जाएगा।

पंचम अध्याय में प्राप्त आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव दिए जाएगें।

शोध–प्रबन्ध के अंत में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची दी जाएगाी, जिनके आधार पर शोध–प्रबन्ध को सुगमता से पूर्ण किया जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, वाई.पी. (1998) दी साइंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च : ए रिसर्च बुक कुरुक्षेत्र निर्मल बुक एजेंसी
2. अग्रवाल एंड चुग, सुनीता (2003) लर्निंग अचीवमैंट ऑफ सल्म चिल्ड्रन इन दिल्ली
3. इण्डिया इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पुणे (2006), इनवेस्टीगेटिड दी प्राब्लम ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट
4. एम.एच.आर.डी. (2001) सर्व शिक्षा अभियान गाइड लाइन, न्यू दिल्ली, डिपार्टमैंट ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन एण्ड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया
5. एम.एच.आर.डी. (2002) सर्वशिक्षा अभियान फ्रेम वर्क फॉर एम्पलिमेंनशन न्यू दिल्ली, एनएचआरडी
6. एम.एच.आर.डी. (2003) इण्डिया सटराइड टु वर्डस एजुकेशन फॉर ऑल, न्यू दिल्ली : डिपार्टमैंट ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन एण्ड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया
7. एम.एच.आर.डी. (2009) गवर्नमैंट ऑफ इण्यिा मोनिटरिंग ऑफ द फाइनैंशियल मैनेजमैंट एण्ड परोक्यूमैन्ट रिलेटिंग टू सर्व शिक्षा अभियान इन हरियाणा।
8. एम.एच.आर.डी. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नैशनल इनफॉरमेटिक सैन्टर, रिटरिव, 2 फरवरी 2014

9.	एच.एस. यादव, सुधा यादव डॉ. केसी जैन, शैली जैन	21वीं शताब्दी के सन्दर्भ में भारत में माध्यमिक शिक्षा का दृष्टिकोण (स्वरूप), टंडन पब्लिकेशन
10.	एन.आर. स्वरूप सक्सेना	शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ
11.	कॉल, एल. (1996)	मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च न्यू दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्राइवेट, लिमिटेड
12.	कोठारी (2004)	डिस्कस चैलेन्जिस ऑफ यूनिवअरलाइजेशन एजुकेशन इन इण्डिया।
13.	खण्डेलवाल (2007)	इवेल्युएटीड दी थिओरटीकल एण्ड प्रैक्टिकल आसपैक्ट ऑपु टीचर्स ट्रेनिंग इन इण्डिया
14.	गवर्नमैंट ऑफ इंडिया	सर्व शिक्षा अभियान, रिपोर्ट ऑन नैशनल कान्फ्रेंनसिंस, न्यू दिल्ली : डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनसटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एण्ड डवल्पमैंट
15.	गांधे, इटी एल. (2000)	कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी ऑन एक्स्ट्रनली एडिड प्रोजैक्ट इन दी फिल्ड ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन राजस्थान
16.	गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया (2001)	एजुकेशन गारंटी सिक्मि एण्ड इनोवेटिव एजुकेशन, न्यू दिल्ली, एमएचआरडी
17.	गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया प्रोजेक्ट (2008)	एम.एच.आर.डी. डिस्टैन्स एजूकेशन प्रोग्राम– सर्वशिक्षा अभियान, इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान घड़ी, न्यू दिल्ली

18.	गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया (2011)	रिसर्च इवल्यूएशन एण्ड स्टडी यूनिट टैक्निकल स्पोर्ट ग्रुप फॉर एस.एस.ए, न्यू दिल्ली
19.	गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया	एम.एच.आर.डी. (2013): सर्वशिक्षा अभियान डिपार्टमैंट ऑफ स्कूल एजुकेशन
20.	चंद, विजया शैरी और अमीन अमीन चौधरी, गीता (2006)	नटेटिड इनोवेशन अंडर दी सर्व शिक्षा अभियान
21.	जालन, ज्योत्सना गिलिनसक्या, एलना (2013)	इम्प्रूविंग प्राइमरी स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया एन इम्पैक्ट असेस्मैंट ऑफ डीपीइपी
22.	द टाइम्स ऑफ इण्डिया (2010)	विल आर.टी.ई. फूलफील द एस.एस.ए. ड्रीम
23.	प्रवीण कासवान (2013)	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिम्पली डिकोडिड, रिटरिवड 2 फरवरी 2014
24.	यूनियन कैबिनेट अप्रूव राष्ट्रीय	माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रपोजल, इण्डिया एजुकेशन रिव्यू, 3 मई 2013, रिटरिवड 2 फरवरी 2014

——————0——————